न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 3660–तीन/2013 विरूध्द आदेश दिनांक 03–09–13 तथा 03–09–11 पारित अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर प्रकरण कमांक 969/2011–12 पुनर्विलोकन तथा प्र0क0 817/2010–11 अपील.

विष्णुपालसिंह तनय हरनाम सिंह चौहान
निवासी छतरपुर वार्ड नं0–3 छतरपुर
तह0 व जिला छतरपुर,म0प्र0

---- आवेदक

विरूध्द

1– हरदीना चमार तनय छंगा अहिरवार
नि0 ललगुंवा, तह0 राजनगर, जिला छतरपुर
2– परमा तनय पिरूवा चमार
निवासी ललगुंवा हाल नि0 करीं, तह0 राजनगर,
जिला छतरपुर
3– राजकुमार शुखदेव प्रसन्न बाजपेयी तनय हरवंश प्रसाद
निवासी खुजराहों
4– मध्यप्रदेश शासन

---- अनावेदकगण

श्री एस0के0 बाजपेयी, अभिभाषक – आवेदक
श्री अनिल श्रीवास्तव, पैनल अभिभाषक– अनावेदक क0–4

आदेश

(आज दिनांक 26.8., 2014 को पारित)

यह निगरानी का आवेदनपत्र मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत अपर आयुक्त,

सागर संभाग, सागर के पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 969/2011–12 तथा अपील प्र0क0 817/2010–11 में पारित आदेश दिनांक कमशः 03–09–13 तथा 03–09–2011 से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत किया गया है।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अनावेदक हरदीना पिता छंगा तथा परमा व्दारा इस आशय का आवेदनपत्र कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष 25–03–96 तथा 24–08–06 को प्रस्तुत किये कि ग्राम ललगुंवा तहसील राजनगर की आराजी नं0 113, 114, 116, 118, 119, 120 तथा 121 कुल किता 7 शासकीय पट्टा उसके स्व. पिता छंगा एवं परमा पिता फिरूवा अहरिवार को दी गयी थी। उक्त भूमियों पर उसका कब्जा मौके पर है। शासकीय पट्टे की उक्त भूमि विष्णुपाल सिंह तनय हरनाम सिंह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज कर दी गयी है तथा कब्जा हटाने का नोटिस तहसीलदार, राजनगर से दिलवाया गया है। उक्त भूमियॉ शासकीय पट्टे की भूमियॉ थी जिसे बिना कलेक्टर की अनुमति के कय विकय का आधार लेकर सह खातेदार परमा के हिस्से की भूमि का अवैध रजिस्टर्ड विकय पहले राजकुमार बाजपेयी ने अपने नाम कराकर इसकी विष्णुपालसिंह के नाम विकी कर दी और कब्जा दखल छुड़ाने के लिये धारा 250 का मुकमदा तहसीलदार, राजनगर में चलाया जा रहा है। कलेक्टर ने आवेदनपत्र तहसीलदार को शीघ्र कार्यवाही हेतु प्रेषित किया। तहसीलदार ने दिनांक 8–3–96 को प्रकरण पंजीबध्द कर कार्यवाही प्रारम्भ की। तहसीलदार, राजनगर ने प्रतिवेदन दिनांक 29–5–2000 के साथ प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रेषित किया। अनुविभागीय अधिकारी ने 19–06–2000 को तहसीलदार के प्रतिवेदन से सहमति व्यक्त करते हुए प्रकरण कलेक्टर, छतरपुर को प्रेषित किया। अपर कलेक्टर ने दिनांक 08–01–2001 को न्यायालयीन कार्यविभाजन आदेश के अनुसार प्रकरण अपर कलेक्टर को आगामी कार्यवाही एवं निराकरण हेतु अन्तरित किया। अपर कलेक्टर ने प्रकरण स्वमेव निगरानी क0 263/01–02

पर पंजीबध्द कर कारण बताओ सूचनापत्र जारी किये। आवश्यक कार्यवाही के पश्चात अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर ने अपने आदेश दिनांक 09–11–2010 में यह निष्कर्ष निकाला है कि प्रश्नाधीन भूमि कुल किता 8 में से 1/2 भाग रकबा 1.566 हे. को विकय परमा तनय फिरूवा चमार ने राजकुमार बाजपेयी को दिनांक 26–6–1979 को किया। अतिरिक्त तहसीलदार ने प्रकरण क0 57/अ–6/78–79 में दिनांक 29–02–80 को शासकीय पट्टेदार परमा तनय फिरूवा चमार के रजिस्टर्ड विकयपत्र के अनुसार राजकुमार बाजपेयी का नामान्तरण किया है जो पूर्णतः विधि विरूध्द होकर अवैधानिक है। शासकीय पट्टेदार परमा चमार का उक्त विकय संव्यवहार म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 कमांक 3 के अनुसार अवैध है। अतः अपर कलेक्टर व्दारा अपर तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–02–80 निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि कुल रकबा 1.566 हे. म0प्र0 शासन के नाम अंकित कर भिन्न–भिन्न व्यक्तियों व्दारा किये गये समस्त विकय संव्यवहार को निष्प्रभावी घोषित किया गया। इस आदेश के विरूध्द प्रस्तुत की गयी निगरानी अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 03–09–11 व्दारा समयावधि बाह्य मानकर खारिज की है। आवेदक व्दारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन आवेदन अपर आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 03–09–13 द्वारा खारिज किया है। अतः आवेदक व्दारा यह निगरानी राजस्व मण्डल में प्रस्तुत की गयी है।

3/ मैने अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेखों का अवलोकन किया तथा आवेदक तथा शासन के विव्दान अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्कों पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया। आवेदक के अभिभाषक का तर्क है कि अपर कलेक्टर व्दारा आदेश पारित करने के बाद आदेश की संसूचना आवेदक को नहीं दी, जबकि धारा 41 के अन्तर्गत निर्मित राजस्व अधिकारियों की कार्यवाही हेतु निर्मित नियमों के नियम 8 के अनुसार सूचना देना आवश्यक थी। आवेदक व्दारा अपर कलेक्टर के आदेश की जानकारी से समयावधि में निगरानी अपर

4/ अनावेदक क0–4 शासन के अभिभाषक का तर्क है कि खसरे संवत 2026 से 2030 में प्रश्नाधीन भूमि छंगा एवं हरजुआ तनय कड़ोरा तथा विसुवा तनय लक्ष्मन चमार के नाम शासकीय पट्टेदार की हैसियत से दर्ज है। उनका तर्क है कि खसरा पंचसाला वर्ष 1983–84 से 1987–88 में प्रश्नाधीन भूमि शासकीय पट्टेदार के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है। शासकीय पट्टे की भूमि [redacted] का विकय संहिता की धारा 165(7–ख) के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना नहीं किया जा सकता था, किन्तु प्रश्नाधीन भूमि का विकय सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना किया गया है, इसलिये केता को कोई वैध स्वत्व अन्तरित नहीं होते। ऐसी दशा में विकय को शून्य घोषित कर प्रश्नाधीन भूमि शासकीय अंकित करने के आदेश देने में अपर कलेक्टर व्दारा कोई त्रुटि नहीं की है। उनका यह भी तर्क है कि अपर कलेक्टर ने तर्क सुनने के बाद प्रकरण में आदेश हेतु दिनांक नियत की गयी थी, इस कारण आदेश पारित करने के बाद पृथक से आदेश की संसूचना नहीं दी गयी। आवेदक का कर्त्तव्य था कि वे अपर कलेक्टर के न्यायालय में उपस्थित होकर आदेश की जानकारी प्राप्त करते। उनका तर्क है कि विलम्ब का समुचित आधार नहीं होने से अपर आयुक्त व्दारा निगरानी समयावधि बाह्य होने से खारिज करने में कोई गलती नहीं की गयी है। अतः उन्होंने निगरानी खारिज करने का अनुरोध किया।

5/ अपर कलेक्टर की आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर ने दिनांक 18–03–09 को लिखित तर्क प्रस्तुत करने पर प्रकरण आदेशार्थ 07–05–09 को नियत किया। अपर कलेक्टर व्दारा नियत दिनांक 7–5–09 को आदेश पारित नहीं किया गया और आदेश हेतु प्रकरण 7 बार बढ़ाया गया। तत्पश्चात 09–11–10 को आदेश पारित किया है। संहिता की धारा 41 के अन्तर्गत राजस्व अधिकारियों की कार्य प्रणाली तथा प्रकिया के नियम बनाये गये हैं। इनके नियम 8(1) में यह प्रावधान है कि–

1957–58 में प्रश्नाधीन भूमि करोड़ा एवं फिरूवा पुत्र लक्ष्मण के नाम अंकित हुई, तब बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश व प्रमाण के प्रश्नाधीन भूमि, सिर्फ खसरे में इन्द्राज के आधार पर, शासकीय होकर पट्टेदार व्दारा विकय करने संबंधी निष्कर्ष अपर कलेक्टर व्दारा निकाला गया है जो अभिलेख सम्मत नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7/ अपर कलेक्टर ने अपने आदेश में विकय संव्यवहार म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड 4 कमांक 3 के अनुसार अवैध होना निर्धारित किया है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के अनुसार प्रश्नाधीन भूमि पट्टे पर दिये जाने के संबंध में कोई भी प्रमाण या साक्ष्य अपर कलेक्टर के अभिलेख में नहीं है और ना ही तहसीलदार व्दारा अपने प्रतिवेदन दिनांक 29–5–2000 में प्रश्नाधीन भूमि राजस्व पुस्तक परिपत्र के अन्तर्गत पट्टे पर दिये जाने का कोई उल्लेख किया है। ऐसी दशा में जब प्रश्नाधीन भूमि म0प्र0 राजस्व पुस्तक परिपत्र के अधीन पट्टे पर दिये जाना ही प्रमाणित नहीं है, तब उसका विकेता व्दारा उल्लंघन करना मानकर विकयपत्र को शून्य घोषित करना विधि–संगत नहीं है।

8/ शासन के अधिवक्ता व्दारा कलेक्टर ने संहिता की धारा 165(7–ख) के अन्तर्गत सक्षम अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये बिना विकय किये जाने से शून्यवत होने संबंधी तर्क प्रस्तुत किया है। मोहन तथा अन्य वि. मध्यप्रदेश राज्य (1999 रा.नि. 363) में राजस्व मण्डल ने यह व्यवस्था दी है कि –

"भू–राजस्व संहिता, 1959 धारा 158(3) तथा 165(7–ख) (1992 में यथा अंतस्थापित) – उद्देश्य तथा कारण– राज्य सरकार, कलेक्टर अथवा अन्य किसी आवंटन अधिकारी से प्राप्त भूमि का भूमिस्वामी– आवंटन के 10 वर्ष के भीतर ऐसी भूमि अंतरित करने से निवारित है– तत्पश्चात किया गया अन्तरण विधिमान्य है।"

रणवीरसिंह विरूध्द म0प्र0 राज्य (2010 रा.नि. 409) में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही जानकारी के दिनांक से 180 दिन के भीतर की जाना निर्धारित किया है। अपर कलेक्टर के अभिलेख से स्पष्ट है कि तहसीलदार व्दारा प्रतिवेदन दिनांक 29–05–2000 प्रस्तुत किया जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने दिनांक 19–6–2000 को कलेक्टर को प्रेषित किया। इसके बावजूद प्रकरण में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही अपर कलेक्टर व्दारा दिनांक 05–02–2001 को प्रारम्भ की गयी है जो मान. उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ व्दारा निर्धारित अवधि जानकारी के दिनांक से 180 दिन के बाह्य है। ऐसी दशा में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही समयावधि बाह्य होने से भी स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

10/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाती है। अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 03–09–13 तथा 03–09–11 तथा अपर कलेक्टर, जिला छतरपुर का आदेश दिनांक 09–11–10 निरस्त किये जाते हैं। अपर तहसीलदार का आदेश दिनांक 29–02–80 एवं नामान्तरण पंजी क0 12 पर तहसीलदार के आदेश दिनांक 20–03–90 व्दारा किया गया विष्णुपाल सिंह तनय हरनामसिंह ठाकुर का नामान्तरण यथावत रखा जाता है।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,म0प्र0